ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank
प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE
''डॉ. पट्टाभि भवन'' "Dr. PATTABHI BHAVAN"
5-9-11, सैफाबाद 5-9-11, SAIFABAD
हैदराबाद - 500 004. HYDERABAD - 500 094.

विभाग DEPT: Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.184/P.185/217

Dt:21.08.2018

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38
cmlist@nse.co.in;

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sirs,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on September 19, 2018
Ref: Compliance to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Further to our Letter No. 666/25/P.30/P.184/P.185/198 Dated 10.08.2018, we hereby submit the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to held on Wednesday, September 19, 2018 at 11.00 a.m. at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500004.

This is for your information and record.

Yours faithfully,
For Andhra Bank

(Raghuram Mallela)
Company Secretary

ANDHRA BANK M.B. Division H.O. Hyd.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

बुधवार, 19.09.2018, को सुबह 11.00 बज़े

स्थान : प्रधान कार्यालय डॉ पट्टाभी भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Wednesday, 19.09.2018 at 11.00 am

at

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना 1
NOTICE 16

सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ 4
NOTES TO NOTICE 19

उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास 13
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS 30

प्रॉक्सी फार्म 14
PROXY FORM 31

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
Relevant Date for calculation of price on item no.1	Monday, 20th August 2018
Specified Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the voting either through Remote e-voting or voting at the Venue	Wednesday, 12th September 2018
Last Date for receipt of Proxy Forms/ Resolutions appointing Authorised Representatives	Friday, 14th September 2018 (upto 05.00 p.m.)
Remote e-voting Period	Sunday, 16th September 2018 (From 10.00 a.m.) to Tuesday, 18th September 2018 (Till 05.00 p.m.)
Date and Time of Extra-ordinary General Meeting	Wednesday, 19th September 2018 (at 11.00 a.m.)

प्रधान कार्यालय : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभागः डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिटः आन्ध्रा बैंक, ००२, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई - 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

विभाग: व्यापारी बैंकिंग प्रभाग

प्रधान कार्यालय : हैदराबाद

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, **19.09.2018** को प्रात: **11. 00** बज़े 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, **5-9-11**, सैफाबाद, हैदराबाद – **500004** में निम्न व्यवसाय की पूर्ति हेतु आयोजित की जाएगी :

मद सं. **1** : भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा ईक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढाना :

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि "बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, **1980** (" अधिनियम"), बैंकिंग विनियमन अधिनियम,**1949**, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना **1980** ("योजना") के लागू प्रावधानों के अनुसार इसे हल किया गया, समय-समय पर संशोधित और सेबी के (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम **2009** के अधीन (इसके बाद" सेबी आईसीडीआर विनियम "के रूप में संदर्भित), डिपॉजिटरीज अधियिम **1996**, सेबी (डिपोजिटरीज और प्रतिभागी) विनियम **1996**, सेबी (शेयरों और टेकओवर का सबस्टैंटियल अधिग्रहण) विनियम **2011** (इसके बाद "सेबी एसएएसटी विनियम" के रूप में संदर्भित), सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम **2015** (इसके बाद "सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन" के रूप में संदर्भित), आंध्र बैंक (शेयर और मीटिंग्स) विनियमन, **2003** (इसके बाद "बैंक विनियम" के रूप में जाना जाता है), और इसमें कोई भी संशोधन या पुन: अधिनियमित, वित्त पत्र मंत्रालय एफ। **7/38/2014 -** बीओए दिनांक **12.07.2018**, **10.08.2018** की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन और भारत सरकार के अनुमोदन, सहमति, प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अधीन (इसके बाद " भारत सरकार (भारतीय रिजर्व बैंक) (इसके बाद "आरबीआई" के रूप में जाना जाता है), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाद में "सेबी" के रूप में संदर्भित), स्टॉक एक्सचेंज जिन पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और / या अन्य इस संबंध में प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह के नियमों और शर्तों और संशोधनों के अधीन ऐसे प्राधिकरणों द्वारा ऐसी मंजूरी देकर निर्धारित किया जा सकता है और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकते हैं ("निदेशक मंडल इस संबंध में बोर्ड द्वारा गठित या गठित गठित किसी भी "समिति" को शामिल करें) ऐसे अन्य अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश समय-समय पर लागू हो सकते हैं या किसी भी संशोधन या फिर से जारी करने के लिए यहां, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से बैंक के निदेशक मंडल को **53,99,83,952** (तिरपन करोड़ निन्यानवे लाख तिरासी हज़ार नौ सौ बावन) तक इक्विटी शेयर **10 /-** रूपये प्रत्येक को तैयार करने, ऑफर करने, जारी करने, और आवंटित करने के लिये भारत सरकार के एवज में भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर मूल्य रूपये **37.39** पैसे प्रति इक्विटी शेयर और एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों **76 (1)** के अध्याय **VII** के तहत विनियमन आधार पर नकद के लिए अधिमान आधार पर **2,019** करोड़ रुपये (केवल दो हजार उन्नीस करोड़ रुपये) तक की कुल राशि के तहत विनियमन के अनुसार निर्धारित इक्विटी शेयर रूपये **27.39** पैसे"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर **VII** के अनुसार जारी मूल्य निश्चित करने के लिए संबंधित तारीख **20.08.2018** है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वो इक्विटी शेयर, लाभांश समेत सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान होंगे और नये जारी करने के लिये सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन **78 (1)** के तहत निर्धारित लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होंगे के लिए, और स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होंगे जहाँ पर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। "

'यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की अपेक्षाओं या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जारी, आबंटन एवं सूचीबद्ध करने एवं बोर्ड की सहमति के अनुरूप उनके अनुमोदनों, सम्मतियों, अनुमतियों की मंजूरी के समय अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किये के अनुसार प्रस्ताव प्रस्ताव में कोई संशोधन स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार होगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय, जो अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर आवश्यक, उचित एवं वांछित समझें, करने एवं ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में कोई प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटान करने एवं ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय एवं सभी दस्तावेजों एवं लिखतों का जैसा आवश्यक, वांछित या उचित हो, अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर जैसा उपयुक्त, सही या वांछित समझे, शेयरधारकों की और संपत्ति या अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने करने का प्राधिकार दिया जाता है एवं यह समझें कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों द्वार अनुमोदन दिया जाना माना जाएगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि एतद्द्वारा बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को एवं / या प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक (कों) को सौंपे गये सभी या किसी भी अधिकार का उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।'

<u>मद सं. **2** : कर्मचारियों को और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना:</u>

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित करना:

यह संकल्प किया जाता है कि **"**बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, **1980 (" अधिनियम"),** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, **1980 (" योजना ")** और आंध्र बैंक के प्रावधानों के अनुसार इसे जारी जारी किया गया (शेयर और मीटिंग्स) विनियमन, **2003 (" बैंक विनियम"),** समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक **(" आरबीआई")** के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियों और प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन है, भारत सरकार **("जीओआई"),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **("सेबी"),** स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां भी लागू हो और / या इस संबंध में किसी भी अन्य प्राधिकारी की आवश्यकता हो और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन जो उनके द्वारा इस तरह के अनुमोदन प्रदान करने में निर्धारित किए जा सकते हैं और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकते हैं और सेबी के प्रावधानों (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, **2014** के अधीन हो सकते हैं , डी के रूप में संशोधित के रूप में आरबीआई, सेबी, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, **1949,** सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, **1992** के तहत आरबीआई, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों, अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, और समय-समय पर सभी अन्य लागू कानून और सेबी के के प्रावधानों (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, **2015 (** सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा दर्ज एक समान लिस्टिंग अनुबंध अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी शर्त, अनुमोदन (ओं), अनुमति (ओं), किसी भी स्तर पर, किसी भी प्राधिकारी के अधीन और किसी भी शर्त (ओं) के अधीन या संशोधित किया जा सकता है जबकि इस तरह की मंजूरी, अनुमति (ओं) और मंजूरी देनी है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति और स्वीकृति दी जा

जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बोर्ड द्वारा दी जाती है और इस प्रकार बोर्ड को दी जाती है बैंक के निदेशकों (इसके बाद इसे "बोर्ड" के रूप में जाना जाता है जिसे बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो सकता है या / गठन किया जा सकता सकता है, इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए), अनुदान, ऐसे कर्मचारियों को को एक या एक से अधिक शाखाओं में प्रस्ताव, अंक और आवंटन, चाहे भारत में या भारत के बाहर काम कर रहे हों, जिसमें अभिव्यक्ति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक के कार्यकारी निदेशक ("कर्मचारी") शामिल होंगे। , जैसा कि बोर्ड, द्वारा तय किया जा सकता है कुल **10,00,00,000 (** दस करोड़) तक का अंकित मूल्य **10 / -** रुपये (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर, सभी उद्देश्यों के लिए बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ बराबर की रैंकिंग और सभी मामलों में, एक कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इसके बाद "एंडबैंक ईएसपीएस - **2018"** के रूप में संदर्भित) के तहत लाभांश के भुगतान सहित, इस तरह की कीमत या कीमतों पर, और इस तरह के नियमों और शर्तों पर बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में निर्णय लिया जा सकता है जिस तरह से भारत सरकार होल्डिंग **51%** से नीचे नीचे नहीं आती है।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बैंक एसबीईबी विनियमों के विनियमन 15 में निर्दिष्ट लेखा नीतियों के अनुरूप होगा। "
"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" के तहत जारी और आवंटित इक्विटी शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एक समान लिस्टिंग समझौते की नियमों और शर्तों के अनुसार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों अनुसार है। "

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" को कार्यान्वित करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और किसी भी संशोधन (परिवर्तन), परिवर्तन (एस), समय-समय पर "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" के नियमों और शर्तों में भिन्नता (ओं), परिवर्तन (संशोधन), मूल्य के संबंध में संशोधन (ओं) सहित, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं है, अवधि, योग्यता मानदंड या "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" को निलंबित करने, निकालने, समाप्त करने या संशोधित करने के लिए बोर्ड इस तरह के विवेकानुसार निर्धारित कर सकता है और कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को सुलझाने के लिए भी "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" और प्रस्तावित "एंडबैंक ईएसपीएस - 2018" के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए शेयरधारकों की अगली सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा समाप्ति के लिये और इस संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा उनकी स्पष्ट रूप अनुमति माना जायेगा।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस प्रकार यहां दिए गए सभी या किसी भी शक्ति को निदेशक **(कों)** की एक समिति, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक(कों) या ऐसे अन्य अधिकारी(यों) को सौंपने के लिए अधिकृत है जैसा कि एसबीईबी विनियमों और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। "

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : **10-08-2018**

(रघुराम मल्लेला)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

1. वर्णनात्मक विवरणी

बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला स्पष्टीकरण वक्तव्य यहां संलग्न है।

2. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त की शर्त पर, बैंक विनियम के विनियम 68 के अनुसार, अंतिम (विनिर्दिष्ट) तिथि यानी **12.09.2018** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा।

कृपया नोट करें कि इस तिथि को शेयर होल्ड करने वाले मात्र शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग / मतदान द्वारा वोट देने हेतु पात्र होंगे । ।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

उपर्युक्त बैंक विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा। अत:, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो प्रथम नामित नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।

3. निर्दिष्ट तिथि

बैंक ने शेयरधारकों की वोटिंग की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु बुधवार, **12.09.2018** निर्दिष्ट तिथि निर्धारित की है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त (बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को छोड़कर) करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

हालॉकि इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि 14 .09.2018 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। जो इस पते पर भेजा जाना चाहिये-कंपनी सेक्रेटरी, शेयरधारक और निवेशक संबंध अनुभाग, प्रधान कार्यालय , डॉ पट्टाभि भवन **5-9-11** सैफाबाद हैदराबाद **500004.**

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम **4** दिन पूर्व याने कि 14 .09.2018 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

आंध्र बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास:

शेयरधारकों की सुविधा हेतु, उपस्थितिपर्ची-सह-प्रवेश पास इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/ अधिकृत प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए। प्रवेश पास को वोटिंग में शामिल होने के लिये समर्पित किया जाना चाहिये।

7. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक के बैठक स्थल पर ई वोटिंग के अलावा सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प देते हुए बैंक को अत्यन्त प्रसन्नता है, ताकि वे संकल्प पारित करने हेतु अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकें।

इस प्रयोजन के लिए बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग और मतदान प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी पद्धति में आयोजित करने हेतु मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, व्यावसायिक कंपनी सचिव, को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है

कृपया नोट करें कि बैठक की तिथि से पूर्व जिन शेयरधारकों ने पहले ही अर्थात् रिमोर्ट ईवोटिंग के माध्यम से वोट किया हो वे असाधारण बैठक में भाग ले सकेंगे पर बैठक के स्थान पर मतदान के माध्यम से वोट करने के हकदार नहीं होंगे

इलैक्ट्रानिक रूप से मतदान हेतु सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार है :-

(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि **16**.0**9**.201**8** को 10.00 बजे से प्रारंभ होगी और **18.09.2018** को सायं 5.00 बजे को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) अर्थात् दिनांक **12**.0**9**.201**8** को भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलैक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल किया जाएगा ।

(ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वैबसाईट **www.evotingindia.com** पर लॉगइन करें।

(iii) शेयरधारकों/सदस्यों पर क्लिक करें।

(iv) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

क. सीडीएसएल हेतु : **16** अंक हिताधिकारी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए – 8 अंक डीपी आई डी के बाद 8 अंक ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करें।

(v) आगे प्रदर्शित इमेज सत्यापन हेतु प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और **www.evotingindia.com** में लॉग करके इससे पहले किसी कंपनी के लिए मतदान कर चुके हैं तो अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें ।

(vii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए अनुदेशों का पालन करें।

विनिर्दिष्ट तिथि बुधवार **12.09.2018** को डीमैट रूप में और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना **10** अंक आल्फा-न्यूमरिक पैन नंबर दर्ज करें। **(**डीमैट शेयरधारक तथा भौतिक शेयर धारक दोनों के लिए लागू**)** • जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध अनुरोध है कि अपने नाम के पहले दो अक्षर और क्रम संख्या के **8** अंक पैन फील्ड में दर्ज करें। • यदि क्रम संख्या **8** अंक से कम हो तो नाम के पहले दो अक्षर अंग्रेजी के बडे अक्षरों में दर्ज करने के बाद उचित संख्या में **0** लिखें । उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और क्रम संख्या **1** है तो पैन फील्ड में **RA00000001** दर्ज करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने बैंक रिकार्ड या डीमैट खाते में रिकार्ड किए अनुसार जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट में) या लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें। यदि निक्षेपागार या बैंक के पास दोनों विवरण दर्ज नहीं हैं तो कृपया अनुदेश **(v)** में दिए अनुसार सदस्य आईडी/ फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण फील्ड में दर्ज करें।

(viii) ये विवरण ठीक से दर्ज करने के बाद **'**सब्मिट**'** टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन देख पाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड सृजन' मेनु पर आएंगे जहां उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉगइन पासवर्ड नए पासवर्ड फील्ड में दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि यदि डीमैट धारक किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान देने के पात्र हैं तो वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म द्वारा रिमोट ई मतदान देने का चयन करता है। है। इसकी जोरदार सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।

(x) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा इस नोटिस में समाविष्ट संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग हेतु इन विवरणों का का उपयोग किया जा सकता है।

(xi) ईवीएसएन पर मतदान के लिए संबंधित **<Andhra Bank>** के चयन हेतु क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप 'संकल्प विवरण' तथा इस पर मतदान हेतु 'हाँ/नहीं' विकल्प देखेंगे । अपनी इच्छा अनुसार हां अथवा नहीं विकल्प का चयन करें । विकल्प हां का अर्थ है कि आप संकल्प हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं तथा विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं ।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'संकल्प फाईल लिंक' पर क्लिक करें ।

(xiv) मतदान हेतु संकल्प का चयन करने के पश्चात 'सब्मिट' पर क्लिक करें । पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक क्लिक करें तथा अपने वोट को तदनुसार बदलें ।

(xv) संकप्ल पर अपने मतदान की 'पुष्टि' के पश्चात, आप मतदान में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ।

(xvi) मतदान पृष्ठ पर 'क्लिक हेयर टू प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते सकते हैं ।

(xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगइन पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे यूज़र आईडी और इमेज सत्यापन कोड प्रविष्ट करें तथा फर्गाट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें ।

(xviii) शेयरधारक एनड्रोयड आधारित मोबाइलों हेतु उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग का प्रयोग करते हुए भी अपना मतदान दे सकते हैं । एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । एप्पल तथा विंडोस फोन प्रयोक्ता क्रमश: एप्प स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से एप्प डाउन लोड कर सकते हैं । कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।

(xix) <u>गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों तथा अभिरक्षक हेतु नोट</u>

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यथा व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) तथा अभिरक्षकों को **www.evotingindia.com** पर लॉगइन करके स्वयं को कार्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा ।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर हों, **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ई-मेल की जाए ।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन यूज़र का सृजन किया जाए । अनुपालन यूज़र मतदान देने हेतु अपनी इच्छानुसार खाते लिंक करने हेतु सक्षम होंगे ।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ई-मेल की जाए तथा खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना मतदान कर पाएंगे ।
- जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्यतारनामा (पीओए), यदि हो तो, की स्कैन की गई प्रति, पीडीएफ फार्मेट में अपलोड की जाए ।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न अथवा समस्या हेतु, आप **www.evotingindia.com** में सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ई-मेल भेज सकते हैं (सीडीएसएल हेल्पलाइन नम्बर 1800 225 533) तथा सम्पर्क व्यक्ति का नाम राकेश दलवी, प्रबन्धक है ।

<u>8. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं दिया है, उनके लिए दिनांक 19.09.2018, बुधवार (ईजीएम तिथि) को मतदान प्रक्रिया:</u>

बैंक बैठक में मतदान हेतु व्यवस्था करेगा । मतदान की प्रक्रिया बैंठक में सूचित की जाएगी ।

मतदान का परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के स्थान पर ई-वोटिंग के समेकित परिणाम बैंक की वैबसाईट तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी यथा सीडीएसएल की वैबसाईट में प्रदर्शित किया जाएगा तथा बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

नोट :

(i) पता में परिवर्तन, फोलियो का एकीकरण, भौतिक होल्डिंग का डिमटेरियलाइजेशन, अंतरण का लॉजमेंट तथा अदावी अथवा अदत्त लाभांश, यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित सूचना भी दी जा सकती है ।

(ii) सेबी अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में संशोधन के अनुशरण में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा रूपान्तरण के अलावा, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक डिपॉजिटरी के पास प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज रूप में न हो । दूसरे शब्दों में, दिनांक 5 दिसंबर 2018 के पश्चात भौतिक शेयर का कोई हस्तांतरण नहीं होगा । तदनुसार, कृपया नोट करें कि बैंक/आरटीए दिनांक 6 दिसंबर 2018 से शेयरों के हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा ।

अधिसूचना की कार्यसूची मदों हेतु विवरणात्मक विवरणी :

मद सं. 1 : भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयर के आबंटन द्वारा पूंजी बढाना :

(विवरणात्मक विवरणी तथा प्रकटीकरण सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय **vii** के अनुरूप निर्मित होना चाहिए ।)

क) अधिमान्य जारी करने हेतु पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य :

बैंक, बैंकिंग तथा संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय में है । वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी रू.3000 करोड़ है । दिनांक 30.06.2018 को बैंक की पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी रू 1198.83 करोड़ थी, जिसमें से बैंक की कुल पेड-अप पूंजी का 77.99% यथा रू 934.98 करोड़ भारत सरकार के पास था ।

बेसल **III** मानदंडों के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2018 तक बैंक के पास रू.141426.13 करोड़ की कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) के विरूद्ध रू.10644.69 करोड़ की टीयर -1 पूंजी तथा रू.4795.45 करोड़ की टीयर -2 पूंजी थी । टीयर -1 अनुपात 7.53% था, टीयर - **II** अनुपात 3.39% था तथा समग्र सीआरएआर 10.92% था ।

बेसल **III** के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2018 को जोखिम भारित आस्ति के पूँजी निधि निम्नानुसार है :

विवरण (दिनांक 30.06.2018 तक)	**राशि (रू करोड़ में)**	**जोखिम भारित आस्ति के पूँजी निधि का %**
जोखिम भारित आस्तियाँ	**141426.13**	
टीयर – **I** पूँजी	**10644.69**	**7.53%**
टीयर **- II** पूँजी	**4795.45**	**3.39%**
कुल पूँजी	**15440.13**	**10.92%**

व्यापार पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, प्रवास तथा नवीन स्लिपेज सहित दिवालियापन संहिता के अन्तर्गत संकल्प हेतु एनसीएलटी को बड़ी राशि वाले एनपीए खातों के संदर्भ में उच्च प्रावधान आवश्यकताओं तथा वित्त वर्ष – 18 हेतु अनुमानित व्यवसाय के समर्थन हेतु बैंक के पूंजीगत आधार को मजबूत करने की आवश्यकता तथा बेसल-**III** मानदंडों के अन्तर्गत सभी लागू पूंजी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक को, भारत सरकार तथा/अथवा अन्य चयनित व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्थान सहित व्यक्तियों के समूह के पक्ष में अधिमानी आबंटन के माध्यम से पूँजी जुटाने के अन्य मार्गों के अलावा इक्विटी पूंजी जुटाने की आवश्यकता है ।

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 12.07.2018 के माध्यम से कुछ मानदंडों के अनुपालन की शर्त पर अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक की इक्विटी पूंजी में रू.2019 करोड़ की सीमा तक पूंजी बढ़ाने की अपनी इच्छा को सूचित किया है ।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी तथा टीयर - I पूंजी के संग्रहण हेतु किया जाएगा ।

सम्पूर्ण अधिमान्य इश्यु नकद हेतु भारत सरकार को आबंटित की जा रही है ।

भारत सरकार को आबंटित की जाने वाली शेयरों पर इश्यु मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित किया गया है । दिनांक 20.08.2018 को प्रासंगिक तिथि के रूप में मानते हुए, भारत सरकार को प्रीमियम सहित इश्यु मूल्य रु.**37.39**पैसे प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित की गई है ।

अधिमान्य इश्यु से पूर्व तथा पश्चात शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्रमांक	श्रेणी	इश्यु से पूर्व (दि.31.07.2018 को)		इश्यु के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग %	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग %
क	प्रोमोटर				
	भारत सरकार	934978617	77.99	1474962569	84.83
ख	गैर-प्रोमोटर				
	सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग	263853210	22.01	263853210	15.17
	कुल	1198831827	100.00	1738815779	100.00

बैंक में भारत सरकार का पूर्व एवं पश्चात इश्यु

पूर्व इश्यु		पश्चात इश्यु	
शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
934978617	77.99	1474962569	84.83

अधिमानी आबंटन सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अनुसार किया जाएगा ।

भारत सरकार को प्रस्तावित इश्यु तथा इक्विटी शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने पोस्ट इश्यु पेड-अप पूंजी के 5% से अधिक भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी कर सकेगा तथा इसके लिए सेबी (शेयरों और अधिग्रहण के सबस्टेंटियल अधिग्रहण) विनियम से प्रयोज्यता हेतु छूट की आवश्यकता होगी । बैंक ने आवश्यक छूट मांगने हेतु भारत सरकार की ओर से आवश्यक आवेदन किया है । बैंक इस संबंध में सेबी से आवश्यक छूट प्राप्त करने के पश्चात ही भारत सरकार को शेयर आबंटित करेगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 74 (1) के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार आबंटन केन्द्र सरकार के किसी भी नियामक प्राधिकारी से अनुमोदन अथवा अनुमति की प्राप्ति के अधीन पास होने की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के अन्दर पूरा किया जाएगा । यदि आबंटन हेतु आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो मामले के अनुसार पंद्रह दिन की अवधि अनुमोदन अथवा अनुमति की तिथि से गिना जाएगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के संदर्भ में बैंक, जहाँ भी आवश्यक हो, इक्विटी शेयरों की कीमत का पुन: निर्धारण करने का प्रयास करता है । यदि सेबी आईसीडीआर विनियम में निर्धारित समय के अन्दर मूल्य के पुन: निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी राशि के भुगतान किए जाने तक, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां लॉक रहेंगी ।

केंद्र सरकार को इक्विटी शेयरों का पूरा आबंटन डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 78 (6) के अनुसार, भारत सरकार की पूरी पूर्व-अधिमानी होल्डिंग्स को वर्तमान अधिमानी आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों हेतु व्यापार अनुमोदन की तिथि से 6 महीने तक प्रासंगिक तिथि से बंद कर दिया

जाएगा । विनियमन 78 (1) के संदर्भ में, भारत सरकार को आबंटित नवीन शेयर, बैंक की पेड-अप पूंजी के अधिकतम 20% के अधीन व्यापार वतर्मान अधिमानी आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों हेतु व्यापार अनुमोदन की तिथि से 3 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा तथा 20% से अधिक व्यापार अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष तक बंद कर दिया जाएगा ।

बैंक के इक्विटी शेयर 6 माह से अधिक समय हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं तथा तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 76 (3) एवं 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

बैंक के इक्विटी शेयरों को बारम्बार स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर वे सूचीबद्ध हैं यथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड पर व्यापार किया जाता है ।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इश्यु तथा इश्यु का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिसे बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में हैं तथा बैंक सेबी सूचीकरण विनियम के अन्तर्गत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूची की शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 41 (4) तथा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय **VII** के संदर्भ में, बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यु हेतु विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति मांगता है ।

भारत सरकार, बैंक के प्रमोटर होने पर बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और प्रस्तावित अधिमान्य आवंटन के परिणामस्वरूप बैंक पर प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

निदेशक मंडल नोटिस में निर्धारित के अनुसार विशेष संकल्प (मद सं. 1) को पारित करने की सिफारिश करता है ।

बैंक का कोई भी निदेशक विशेष संकल्प (मद सं. 1) में रूचि नहीं रखता है ।

<u>मद संख्या 2 : बैंक के कर्मचारियों तथा पूर्ण समय निदेशकों को शेयर जारी करना</u>

(सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में सामान्य बैठक में योजनाओं हेतु पारित करने हेतु प्रस्तावित नोटिस और संकल्प के व्याख्यात्मक विवरणी)

बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले दीर्घकालिक संसाधनों के माध्यम से व्यवसाय के विस्तार हेतु निधि की बढ़ती आवश्यकता आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल **III** आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए तथा संबंधितता को समझने एवं बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु बैंक, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशक सहित अपने स्थायी कर्मचारियों (इसके बाद "योग्य कर्मचारी" के रूप में संदर्भित) को नवीन शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है ।

बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी (एसबीईबी) विनियम) के अनुपालन में बैंक "एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018" के अन्तर्गत निर्धारित नियमों और शर्तों पर अथवा लागू नियम तथा विनियम अथवा बोर्ड अथवा इक्विटी शेयर जारी करने हेतु निर्मित/निर्माण की जाने वाली "निदेशकों की समिति" (समिति) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के आधार पर प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को इक्विटी शेयर स्वीकृत करने हेतु आंध्र बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 ("एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018") नामक एक योजना तैयार कर रहा है ।

उक्त प्रस्ताव यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार/भारिबैंक/स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन के अधीन है ।

कर्मचारियों के साथ इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बैंक का उद्देश्य निम्नानुसार है :

- बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदानों को पहचानना तथा उन्हें पुरस्कृत करना एवं बैंक के दीर्घकालिक हित के साथ कर्मचारियों के हित को संरेखित करना ।

- बैंक के प्रदर्शन में सुधार हेतु योगदान देने के लिए बेहतर प्रदर्शन की दिशा में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- योग्य कर्मचारियों द्वारा बैंक में इक्विटी स्वामित्व में वृद्धि जो बैंक के कर्मचारियों के बीच संबंध और स्वामित्व की भावना को बढ़ाएगा ।

एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018 योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर की गणना, भुगतान लाभांश सहित,यदि बैंक द्वारा घोषित कोई हो तो, बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान रूप में की जाएगी ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण विनियम), 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम 2015) के विनियमन 41 में वर्णित है कि बैंक द्वारा जब भी कोई अन्य इश्यु या प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो जब तक सामान्य बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न ले, तब तक वर्तमान शेयरधारकों को उसी प्रो राटा दर पर प्रदान किया जाना चाहिए । उक्त संकल्प, यदि पारित किया गया है, तो बैंक की ओर से बोर्ड/समिति को वर्तमान शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर प्रतिभूतियों को जारी करने और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

एसबीईबी विनियम के विनियमन 6 एवं 14 के अनुसार बैंक की प्रतिभूतियों से जुडे सभी कर्मचारियों की लाभ योजनाएं इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्मित सेबी विनियमों तथा अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41 (4) तथा सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के विनियमन 6 के अनुपालन में, बैंक "एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018" योजना के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों को नवीन इक्विटी शेयर जारी करने तथा आबंटित करने हेतु विशेष प्रस्ताव प्रदान कर रहा है ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी कक्ष/2/2015 दिनांक 16 जून, 2015 द्वारा उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार परस्पर बोर्ड योजना के नियम एवं शर्तों तथा अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नलिखित होंगे ।

क) योजना का संक्षिप्त विवरण

बैंक "एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018" के अन्तर्गत निर्धारित नियमों और शर्तों अथवा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बोर्ड या "निदेशक समिति" (समिति) द्वारा निर्धारित आधार पर बैंक के सभी योग्य कर्मचारियों को प्रस्ताव निर्मित करते समय इस प्रकार से कि भारत सरकार की धारिता 51% से कम न हो, उचित प्रीमियम सहित रू 10 के अंकित मूल्य पर 10,00,00,000 तक की सीमा सहित इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है ।

ख) प्रदान की जाने वाली शेयरों की कुल संख्या

समग्र रूप में 10,00,00,000 (दस करोड़) तक नए इक्विटी शेयर "एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018" के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

ग) "एएनडीबैंक ईएसपीएस - 2018" योजना में भाग लेने और लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों के वर्गों की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी ।

घ) वेस्टिंग की आवश्यकता तथा वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

ङ) अधिकतम अवधि (मामले के आधार पर जिसमें विकल्प/सीएचआर (स्टॉक प्रोत्साहन अधिकार)/लाभ, सेबी (एसबीईबी) विनियमन, 2014 के विनियम 18(1) तथा 24(1) के अधीन वेस्टिंग किया जा सकता है

लागू नहीं

च) खरीद मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण विधि

खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण विधि प्रस्ताव बनाने के समय सेबी विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशकों की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले शेयरों की कीमत प्रस्ताव देने के समय बोर्ड द्वारा/समिति द्वारा प्रस्ताव/खरीद मूल्य निर्धारित करने की तिथि से गत दो सप्ताह के के दौरान एनएसई पर उद्धृत इक्विटी शेयरों की साप्ताहिक उच्च और न्यून मात्रा के औसत मूल्यों के 25% से अधिक की छूट पर नहीं होगी ।

छ) निष्पादन अवधि अथवा निष्पादन की प्रक्रिया

बोर्ड/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान मामला खुला रहता है वह अवधि निष्पादन अवधि होगी । निष्पादन की प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ, पात्र कर्मचारियों को प्रदत्त प्रस्ताव, आवेदन की प्राप्ति और अंशदान राशि और योजना के अनुसार शेयरों के आवंटन होगी ।

ज) एएनडीबीएएनके ईएसपीएस – 2018 हेतु कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

योजना के शुरू होने की तिथि को बैंक के कार्यपालक निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित सभी पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों की शर्त पर भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे ।

झ) प्रति कर्मचारी तथा समग्र रूप से जारी किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 12,000 (बारह हजार) इक्विटी शेयर है ।

बैंक समग्र रूप से अधिकतम 10,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर जारी पूंजी के 1% से अधिक नहीं होंगे ।

ञ) इस योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किया जाने वाला लाभ की अधिकतम मात्रा

योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को जारी इक्विटी शेयरों के अलावा, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं दिया जाना जाए ।

ट) क्या योजना(ओं) को सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित अथवा प्रबंधित किया जाएगा अथवा न्यास के माध्यम से

एएनडीबीएएनके ईएसपीएस – 2018 सीधे बैंक द्वारा लागू और प्रशासित किया जाएगा ।

ठ) क्या योजना(ओं) में बैंक द्वारा शेयरों के नए ईश्यू अथवा न्यास द्वारा द्वीतिय अधिग्रहण सम्मिलित हैं अथवा दोनों

एएनडीबीएएनके ईएसपीएस – 2018 के अंतर्गत, बैंक सीधे पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा ।

ङ) न्यास को बैंक द्वारा योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु हेतु प्रदान की जाने वाली राशि, इसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती नियम आदि

चूंकि शेयर सीधे बैंक द्वारा एएनडीबीएएनके ईएसपीएस - 2018 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को जारी किए जा रहे हैं, न्यास का गठन या न्यास को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है ।

ढ) सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा, जिसे योजना(ओं) के उद्देश्य हेतु न्यास द्वारा निर्धारित की सकती है, की शर्त पर द्वीतिय अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत

लागू नहीं

ण) कंपनी द्वारा सेबी (एसबीईबी) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखा नीतियों की पुष्टि हेतु स्टेटमेंट ।

बैंक समय-समय पर लागू एसबीईबी विनियमों के विनियमन 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों की पुष्टि करेगा ।

त) प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने ऑप्सन अथवा एसएआर के मूल्यांकन हेतु उपयोग करेगी

चूंकि एएनडीबीएएनके ईएसपीएस - 2018 के अंतर्गत केवल इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं, ऑप्सन या एसएआर का मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है ।

थ) यदि लागू हो तो निम्नलिखित विवरणी

यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग कर कर्मचारी लाभों पर आधारित शेयरों का विस्तार करने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत की गणना के बीच का अंतर तथा यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया हो, तो स्वीकृत कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा तथा बैंक को लाभ तथा प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) पर इस अंतर का प्रभाव निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा ।

लागू होने पर बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा ।

द) लॉक-इन अवधि

एएनडीबीएएनके ईएसपीएस - 2018 के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर एसबीईबी विनियमों के अनुसार आवंटन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु लॉक होंगे ।

निदेशक मंडल नोटिस में निर्धारित के अनुसार विशेष संकल्प (मद सं. 2) को पारित करने की सिफारिश करता है ।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) उपर्युक्त उपर्युक्त संकल्प अर्थात मद सं. 2 से संबधित हैं या रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनके लाभ हेतु है । अन्य निदेशक को संकल्प में संबंध अथवा रुचि नहीं हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : **10.**08.2018

(रघुराम मालेला)
कंपनी सचिव

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप सह-प्रवेश पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक : 19.09.2018

समय : प्रात: 11.00 बज़े

स्थान : 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं हो)		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी** (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

असाधारण आम बैठक : बुधवार, **19.09.2018**, प्रात: 11.00 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी**	
(यदि अमूर्त नहीं हो)		(यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास - शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए । बैलट पेपर प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि पास भाग सरेंडर (अभ्यर्पित) किया जाना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रविष्टि पास जारी नहीं की जाएगा ।

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं (यदि अमूर्त न हो)
डीपीआईडी नं
ग्राहक आईडी नं (यदि अमूर्त हो)
शेयरों की संख्या

मैं/हम_____

निवासी_____ जिला_____

राज्य_____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती_____ निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ **या** इनके न आने पर

श्री/श्रीमती_____ निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की **बुधवार**, **सितम्बर 19, 2018** को प्रातः **11.00** बजे आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, डा. पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद – 500004 में होने वाली असाधारण आम बैठक और उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं ।

इस पर ---------- 2018 को ---------- के दिन हस्ताक्षर किये ।

रु 1/- का
राजस्व
स्टांप

प्रॉक्सी शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

<u>प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :</u>

प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,

क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।

ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।

ग) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो । यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।

प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवश अपना नाम / अंगूठा-छाप लगाने में असमर्थ हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए ।

प्राक्सी के साथ

क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा, नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ. पट्टाभि भवन, **5-9-11**, सैफाबाद, हैदराबाद **500 004** में जमा की जाए ।

ख) असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि शुक्रवार, 14.09.2018 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, को या इससे पहले ।

प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो ।

बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत **अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी** ।

वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे ।

प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो ।

जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प 'के लिए" अथवा "उसके विरुद्ध" मतदान कर सकता है ।

प्रॉक्सी फॉर्म में सभी परिवर्तन विधिवत् सम्यक रुप से अधिप्रमाणित होने चाहिए ।

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Dept : Merchant Banking Division

प्रधान कार्यालय Head Office :: हैदराबाद Hyderabad.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of ANDHRA BANK will be held on Wednesday, September 19, 2018 at 11.00 am at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500 004 to transact the business set out below:

Item No 1: Raising of capital by allotment of equity shares to Government of India on preferential basis

To consider and, if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), Banking Regulation Act, 1949, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 ("The Scheme"), as amended from time to time and subject to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 (hereinafter referred to as "SEBI ICDR Regulations"), Depositories Act 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations 1996, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as "Bank Regulations"), and any amendments thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance Letter F.No. 7/38/2014 - BOA dated 12.07.2018, (approval by the Bank's Board of Directors at its meeting dated 10.08.2018) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Government of India (hereinafter referred to as "GoI"), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI"), the Stock Exchanges on which the securities of the Bank are listed and/or such other authority as may be required in this regard, and subject to such terms and conditions and modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank ("Board of Directors" shall include any "Committee" constituted or to be constituted by the Board in this regard) such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-issuance thereof, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot **upto 53,99,83,952 (Fifty Three Crore Ninety Nine Lakh Eighty Three Thousand Nine Hundred and Fifty Two) equity shares** of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at **Rs 37.39p per equity share** including premium of **Rs. 27.39p per equity share** as determined in accordance with Regulation 76 (1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating upto **Rs.2,019 Crore (Rupees Two Thousand Nineteen Crore Only)** for cash on preferential basis**."**

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for fixing the issue price in terms of Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations is **20.08.2018**."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued, shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend and be subject to lock-in requirements as prescribed under the Regulation 78(1) of the SEBI ICDR Regulations for fresh issue, and be listed on the Stock Exchanges on which the Bank's existing equity shares are listed.**"**

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.**"**

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.**"**

"RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued and allotted as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where existing equity shares of the Bank are listed.**"**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer and/or Executive Director(s) (in absence of the Managing Director & Chief Executive Officer) to give effect to the aforesaid Resolutions**."**

Item No 2: Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("The Scheme") and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 ("The Bank Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable,

approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval (s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating **up to 10,00,00,000 (Ten Crore)** new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as **"ANDBANK ESPS - 2018"**), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SBEB Regulations.**"**

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "ANDBANK ESPS - 2018", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.**"**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "ANDBANK ESPS – 2018" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "ANDBANK ESPS – 2018" from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "ANDBANK ESPS – 2018" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "ANDBANK ESPS – 2018" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "ANDBANK ESPS – 2018" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to a Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SBEB Regulations and other applicable laws, rules and regulations.**"**

By order of the Board of Directors

Place : Hyderabad
Date : 10.08.2018

Raghuram Mallela
Company Secretary

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**
 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**
 In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 Subject to the above, as per Regulation 68 of the Bank Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date, i.e. 12.09.2018,** shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting at the venue of the General Meeting.

 Please note that the shareholders who hold the shares as on this date are only eligible to vote.

 Exercise of rights of joint holders:
 As per Regulation 10 of the Bank Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the resolutions.**

3. **SPECIFIED DATE**

 The Bank has fixed **Wednesday, 12.09.2018** as the Specified Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to vote.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

 A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an Officer or an Employee of the Bank to attend and Vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

 However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

 As per the Bank Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

 The proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 not less than FOUR DAYS before the date of the meeting i.e upto 05.00 p.m on or before Friday, 14.09.2018.

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

 No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/ her as a duly authorized

representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than FOUR DAYS before the date of the meeting i.e upto 05.00 p.m on or before Friday, 14.09.2018.

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Andhra Bank.

6. ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry Pass shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be. Entry Pass shall be surrendered to participate for voting at the meeting.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides e-voting at the venue of the general meeting, for its Members at the Extra-ordinary General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS.

For this purpose, the Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as a Remote e-voting platform for facilitating its Shareholders to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutiniser for scrutinising the remote e-voting and voting at the venue of the general meeting in a fair and transparent manner.

Remote e-voting is OPTIONAL. Please note that a shareholder may participate in the EGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the meeting.

The instructions for Members for voting electronically are as under:-

(i) The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on 16.09.2018 and ends at 5.00 P.M. on 18.09.2018. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date i.e. 12.09.2018, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/ Members.

(iv) Now Enter your User ID
 a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on the Specified Date Wednesday, 12.09.2018
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the Depository or Bank/ RTA, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a Demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; (CDSL helpline No. 1800 225 533 and Contact Person Name is Mr. Rakesh Dalvi, Manager).

8. Voting process on Wednesday, 19.09.2018 (EGM Date) for those who have not cast their vote through Remote e-voting:

The Bank will arrange for voting at the meeting. The procedure of voting will be informed at the meeting.

RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote e-voting and e-voting at the venue of the meeting will be hosted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting Agency viz CDSL and will be informed to the Stock Exchanges within 48 hours of conclusion of the Meeting.

Note:

(I) Information regarding Change of Address, Consolidation of Folios, Dematerialisation of Physical Holding, Lodgment of transfers and unclaimed or unpaid dividend, if any may also be given.

(II) Pursuant to SEBI notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 8th June 2018, amending the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting the transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. in other words, there will not be any transfer of physical share after 5th December 2018. Accordingly, please note that Bank/RTA will not accept any request for transfer of shares with effect from 6th December 2018.

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM OF THE NOTICE:

Item No 1: Raising of capital by allotment of equity shares to Government of India on preferential basis

(Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009)

a) Background and Object of the Preferential Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs 3000 crore. The paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 30.06.2018 was Rs 1198.83 crore with Government of India holding Rs 934.98 crore constituting 77.99% of the total paid-up capital of the Bank.

As of June 30, 2018 under Basel III norms the Bank had Tier - I capital of Rs.10644.69 crore and Tier – II capital of Rs.4795.45 crore against the total Risk Weighted Assets (RWA) of Rs.141426.13 crore. The Tier – I ratio was 7.53%, Tier – II ratio was 3.39% and overall CRAR was 10.92%.

The Capital Fund to Risk Weighted Assets as on 30th June, 2018 under Basel III was as under:

Particulars (As on 30.06.2018)	Amount (Rs in Crores)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	141426.13	
Tier – I Capital	10644.69	7.53%
Tier – II Capital	4795.45	3.39%
Total Capital	15440.14	10.92%

Considering the business forecast, the higher provisioning requirements on account of references of large ticket NPA accounts to NCLT for resolution under the Insolvency & Bankruptcy Code along with migration & fresh slippages and the need for strengthening the Bank's capital base to support the envisaged business for FY-19 and to ensure compliance to all applicable capital norms under Basel – III regime, it has become necessary for the Bank to raise equity capital through Preferential Allotment in favour of the Government of India and/or other select persons or group of persons including financial institutions apart from other avenues of raising capital.

The Government of India vide their letter F.No.7/38/2014-BOA dated 12.07.2018 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs.2019 crore in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment subject to fulfillment of certain criteria.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier – I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India for cash.

The Issue Price on shares to be allotted to GOI has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. Considering 20.08.2018 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI is fixed at Rs.37.39p per equity share.

Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl.No.	Category	Before the Issue (As on 31.07.2018)		After the Issue (Estimated)	
		No. of Shares	Shareholding %	No. of Shares	Shareholding %
A.	**Promoter**				
	Govt. of India	934978617	77.99	1474962569	84.83
B.	**Non-Promoter**				
	Public Shareholding	263853210	22.01	263853210	15.17
	Total	1198831827	100.00	1738815779	100.00

Pre and Post Issue holding of GOI in the Bank

Pre Issue		Post Issue	
Number of Shares	%age	Number of Shares	%age
934978617	77.99	1474962569	84.83

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The proposed issue and allotment of equity shares to GOI would result in the Bank issuing and allotting equity shares to GOI in excess of 5% of its post issue paid-up capital during the financial year 2018-19 and thus would require exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations. The Bank will be making necessary application on behalf of GOI seeking the necessary exemption. The Bank would be allotting shares to GOI only after obtaining the necessary exemption from SEBI in this regard.

In terms of the Regulation 74(1) of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated special resolution shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing subject to the receipt of the approvals or permissions from any regulatory authority or the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do. If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in SEBI ICDR Regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the Central Government.

The entire allotment of equity shares to the Central Government shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 78(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.
The equity shares of the Bank have been listed for more than 6 months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchange on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue and the issue-pricing is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is complying with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

Government of India, being promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the Management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

The Board of Directors recommends the passing of the Special Resolutions as set out in item no.1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank are interested in the Special Resolution (Item No. 1).

Item No 2: **Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank**

(Explanatory statement to the notice and resolution proposed to be passed for the schemes in General Meeting in terms of Requirements specified under SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014)

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, and also to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees the Bank proposes to issue new shares to its Permanent Employees including Managing Director and CEO and Executive Director (s) of the Bank (hereinafter referred as "Eligible Employees").

The Bank is formulating a Scheme viz., Andhra Bank Employees Share Purchase Scheme, 2018 ("ANDBANK ESPS – 2018") in compliance with Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI (SBEB) Regulations) to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "ANDBANK ESPS – 2018"or as may be decided by the Board or "Committee of Directors" constituted / to be constituted for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws and Regulations

The said proposal is also subject to approvals from GOI / RBI / Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The Objective of the Bank to issue the equity shares to employees inter alia is as under:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long-term interests of the Bank
- Providing incentive to the employees to stimulate their efforts towards better performance to contribute to the improved performance of the Bank
- To enhance the equity ownership in the bank by eligible employees which will enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees of the Bank

The equity shares proposed to be issued as above under the Scheme ANDBANK ESPS – 2018 shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank

Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Regulations), 2015 (SEBI LODR Regulations 2015) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board/Committee on behalf

of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SBEB Regulations all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by Securities and Exchange Board of India in this regard.

In compliance with Regulation 41 (4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (SBEB) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees under the Scheme "ANDBANK ESPS – 2018"

As per the requirements enumerated by Securities and Exchange Board of India through Circular No.CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the scheme and additional disclosures:

a) BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME

The Bank is desirous of offering equity shares to all eligible employees of the Bank on such terms and conditions as stated under "ANDBANK ESPS – 2018" or as may be decided by the Board or "Committee of Directors" (Committee) for issue of equity shares subject to the applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter alia, aggregrating upto 10,00,00,000 equity shares at a face value of Rs. 10/- each with appropriate premium, at the time of making offer in such a way that Government of India holding does not fall below 51%

b) TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Upto 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible employees under pursuant to the "ANDBANK ESPS – 2018."

c) IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BENEFICIARIES IN THE SCHEME "ANDBANK ESPS – 2018"

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank

d) REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not applicable

e) MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS,2014 AS THE CASE MAY BE WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs(STOCK APPRECIATION RIGHTs)/BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

f) PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase Price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for issue of Equity shares as per SEBI regulations at the time of making offer. The price of the shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of not more than 25% of average of the weekly high and low of the volume weighted average

prices of the Equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/Committee decides to make the offer.

g) EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme

h) THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMNING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "ANDBANK ESPS – 2018"

All Eligible Employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of commencement of the Scheme will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

i) MAXIMUM NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 12,000 (Twelve thousand) equity shares

The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital

j) MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

Other than Equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme, no other benefit is to be provided to the Employees

k) WHETHER THE SCHEME IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST

ANDBANK ESPS – 2018 will be implemented and administered directly by the Bank.

l) WHETHER THE SCHEMES(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE BANK OR SECONDRAY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the ANDBANK ESPS – 2018, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

m) THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE BANK TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC

As the shares are directly issued to the eligible employees under ANDBANK ESPS – 2018 by the Bank, formation of the trust or providing loan to the Trust does not arise.

n) MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PUPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable

o) A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 of SEBI (SBEB) Regulations 2014

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations as applicable from time to time.

p) THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only Equity shares are issued under ANDBANK ESPS – 2018, the valuation of options or SARs does not arise

q) THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE

'In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share (EPS) of the Bank shall be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable

r) LOCK IN PERIOD

The equity shares issued under ANDBANK ESPS – 2018 shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the Special Resolutions as set out in item no.2 of the Notice.

The Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and other Key Managerial Personnel (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution i.e. Item No.2 as it is intended for their benefit. Other Directors are not interested or concerned in the Resolution.

By order of the Board of Directors
For ANDHRA BANK

Place : Hyderabad
Date : 10.08.2018

Raghuram Mallela
Company Secretary

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 19.09.2018
Time: 11.00 A.M.
Place: 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad – 500 004

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

.....

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004

ENTRY PASS

Date: 19.09.2018
Time: 11.00 A.M.
Place: 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad – 500 004

(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Entry Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip- cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting.

.....

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No.
Client ID No. (if Dematerialised)
No. of shares

I / We _____ resident/s of _____ in the District of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank, Hyderabad, hereby appoint Shri / Smt._____ Resident of _____ in the District of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri / Smt _____Resident of _____in the District of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **Wednesday, September 19, 2018** at 11.00 A.M. at Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad – 500004 , and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2018

Please affix Revenue Stamp Re.1/-

_____ _____

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
 c) in the case of a body corporate signed by its officers' or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with

 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
 b. not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 05.00p.m. on Friday, 14.09.2018.

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.

5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.

6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

9. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.

10. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

To

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाए :

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग
प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन,
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004, तेलंगाना.

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK
Shareholders & Investors Relation Section,
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004, Telangana.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261